सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 18, शुक्रवार, *शाके* 1942–जनवरी 08, 2021 *Pausa 18, Friday, Saka 1942-January 08, 2021*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 11, 2020

संख्या प.4(20)कृषि/ग्रुप-2/2016 :-राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम,1961 की धारा 7(1)(क)(v), 7(1)(क)(vi), एवं 7(1)(क) (viii) सपठित राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 के नियम 6(क) एवं 6(ख) के तहत कॉलम संख्या (2) में अंकित कृषि उपज मण्डी समिति में कॉलम संख्या 3 में अंकित श्रेणी में कॉलम संख्या 4 में उल्लेखित प्रतिनिधियों को सदस्य मनोनीत किया जाता हैः-

क्र.सं0	मण्डी समिति का नाम	मनोनयन श्रेणी	मनोनीत सदस्य
1	2	3	4
1	जोधपुर (फ.स.) मण्डी समिति (‘अ‘ श्रेणी)	सहकारी विपणन समिति प्रतिनिधि	श्री भल्लाराम सारण, पाल, जोधपुर
		केन्द्रीय सहकारी वित्तीय संस्थान प्रतिनिधि	श्री तुलसीदास राज
		राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	1.श्री जयनारायण सांखला, जोधपुर 2.श्री रशीद अली पुत्र श्री निसार अहमद पावटा सब्जी मण्डी, जोधपुर
2	जोधपुर (अ.) मण्डी समिति (‘विशिष्ट‘ श्रेणी)	सहकारी विपणन समिति प्रतिनिधि	1. श्री गणेशाराम चौधरी
		राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	1.श्री प्रकाश टाटीया पुत्र श्री पारसमल टाटीया, मण्डोर मण्डी, जोधपुर। 2.श्री शरद मून्दडा पुत्र स्व. श्री जयनारायण मून्दडा

राज्यपाल की आज्ञा से,

बृज गुप्ता,

शासन उप सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।